

सरकारी गजंट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 07 नवम्बर, 2005 ई0 कार्तिक 16, 1927 शक सम्वत्

> उत्तरांचल शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 612/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 देहरादून, 07 नवम्बर, 2005

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 26, सन् 2005 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, मत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 26, वर्ष 2005)

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, मत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, वर्ष 1981) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) में अग्रतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान समा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- 1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।
 - (2) यह दिनांक 01-04-2004 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 6 का संशोधन

- 2. उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की घारा 6 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (1) रखी जायेगी :-
- "(1) उप मंत्री से मिन्न प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्त्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उस दर पर और उन शर्तों पर जो विहित की जायं, यात्रा मत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।"

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी, सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Ministers (Salary, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981] (Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 26 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 28, 2005.

No. 612/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005 Dated Dehradun, November 07, 2005

NOTIFICATION Miscellaneous

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARY, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981]
(AMENDMENT) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT No. 26 of 2005)

Further to amend the Uttar Pradesh Ministers (Salary, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 (as applicable in the Uttaranchal)

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows:--

Short title and Commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttaranchal [The Uttar Pradesh (Salary, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981] (Amendment) Act, 2005.
 - (2) It shall be deerned to have come into force with effect from 01-04-2004.

Amendment of section 6

- 2. In place of sub-section (1) of section 6 of the Uttar Pradesh (Salary, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 (as applicable in the State of Uttaranchal), the following sub-section(1) shall be substituted:--
- "(1) Each Minister other than a Deputy Minister shall be entitled for journeys (whether by land, sea or air) performed in connection with the discharge of his official duties to travelling allowance and out of pocket expenses for himself and the members of his family at such rates and upon such conditions as may be prescribed."

By Order,

U. C. DHYANI, Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) ४८ विधायी / ४३७-२००५-१०० +४०० (कम्प्यूटर / रीजियो)।